प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2015 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

सभी पदाधिकारियों को प्रशाखावार आवंटित कार्यों पर समीक्षा करने और अग्रेत्तर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

➢ **प्रशाखा–01 से संबंधित कार्य :–**

1. DUDA में सेवानिवृत्त अभियंताओं की पदस्थापना एवं प्रशिक्षण।
2. सेवा नियमावलियों का गठन।
3. बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजना।
4. अधीनस्थ कार्यालय यथा बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
5. नगर प्रशासन निदेशालय, SPMG एवं BUDA कार्यालय को नये परिसर में चालू कराना।
6. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
7. विभाग के सभी कर्मियों की दूरभाष निर्देशिका एवं ई०मेल आई०डी० तैयार करना।
8. ई० ऑफिस लागू करना।
9. **नगर निकाय प्रतिनिधियों को आईपैड की व्यवस्था :–**

   नगर निकाय क्षेत्रों में योजनाओं के समुचित पर्यवेक्षण एवं Recordkeeping के दृष्टिकोण से सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को एक आईपैड, सरकारी खर्च पर सभी सदस्यों को दिया जाएगा। इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।
10. **बिहार शहरी प्रशासन संस्थान :–**

    राज्य में शहरी प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए क्षमतावर्द्धन आवश्यक है। इस हेतु राजधानी पटना में Bihar Centre for Urban Governance की स्थापना की जाएगी।
11. Retired personnel recruitment against sec 36, post (ग्रुप "क" एवं "ख") :–

    इनकी नियुक्ति हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

12. जिलों के नोडल पदाधिकारियों को नामित करने हेतु पुनः आदेश जारी किया जाय।

➢ <u>प्रशाखा–02 से संबंधित कार्य</u> :–

1. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में राशि की विमुक्ति एवं PMU का गठन करते हुए डूडा के अभियंताओं के साथ मासिक समीक्षा एवं मासिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। इस प्रतिवेदन के आधार पर सभी जिला पदाधिकारियों को मासिक समीक्षा टिप्पणी का प्रेषण करना।
2. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की पुस्तिका तैयार करना।
3. राज्य योजना के अंतर्गत 20 जुलाई 2015 तक सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना एवं निधि की विमुक्ति सुनिश्चित करना।
4. राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की पुस्तिका तैयार करना।
5. राज्य योजना के अंतर्गत पूर्व से मंजूर योजनाओं में बची हुई अवशेष राशि की विमुक्ति करना।
6. राज्य योजना में नगर निकायों से भिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मासिक समीक्षा विभाग के स्तर पर करने की व्यवस्था।
7. राज्य योजना एवं मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की योजनावार समीक्षा के लिए MIS की व्यवस्था।
8. State Quality Monitoring Cell चालू करना।
9. गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती की तैयारी हेतु प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

10. <u>मुख्यमंत्री नगर स्वच्छता प्रोत्साहन अनुदान</u> :–

(i) राज्य की सभी 141 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन स्वरूप "स्वच्छता सहायक अनुदान" दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति परिवार प्रति वर्ष 1200/–(बारह सौ रूपये) रुपये की दर से हर वर्ष में दो किस्तों में देय होगा। इस पर पूरे राज्य में लगभग 250.00 करोड़ (दो अरब पच्चास करोड़ रूपये) रूपये प्रतिवर्ष व्यय होगा।

(ii) नगर निकाय इस राशि का उपयोग शहर में सफाई व्यवस्था हेतु करेगी। <u>इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे</u> :–

(क) डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण

(ख) कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय

(ग) कचरे के प्रबंधन हेतु कचरा निस्तारण केन्द्र का क्रय/विकास

(घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता

(ड़) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढ़ीकरण

(च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

(iii) यह अनुदान इस वर्ष सभी नगर निकायें को देय होगा। अगले वर्ष से यह अनुदान वैसी नगर निकायों, जिनके तटस्थ मूल्यांकन के फलस्वरूप यह पाया जाय कि इन सभी घटकों पर अमल हो रहा है, उन्हें ही आवंटन दिया जा सकेगा।

इस संबंध में एक परिपत्र बनाकर संचिका में शीघ्र उपस्थापित की जाय।

11. <u>सिवरेज व्यवस्था का विस्तार</u> :–

शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सभी परिवारों का सेप्टिक टैंक सीवरेज नेटवर्क से जुड़े, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सीवरेज लाईन से सेप्टिक टैंक तक के कनेक्शन का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

12. भूमि क्रय नीति।

13. BRGF की अपूर्ण योजनाओं की पूर्णता।

उक्त कार्यों के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

➢ <u>प्रशाखा–03 से संबंधित कार्य</u> :–

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए यथोचित कदम उठाना।

2. JnNURM के सभी घटकों में लिए गए कार्यों की मासिक समीक्षा करते हुए पूर्णता सुनिश्चित कराना।

3. JnNURM की सभी घटकों की पुस्तिका तैयार करना :–

JnNURM की मात्र 4 योजनाओं में भारत सरकार AMRUT के अंतर्गत निधि दी जा रही है जबकि इससे अधिक योजनाओं को मिलना चाहिए। इस हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया।

4. डी०पी०आर० पर कार्रवाई।

5. नगर निकायों द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जाएगा।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

6. **<u>स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्य</u>** :–

(i) शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र 4,000/–रूपये प्रति परिवार केन्द्रांश अनुदान दिया जा रहा है और यह अपेक्षा की गयी है कि राज्य सरकार 1333/–रूपये राज्यांश राशि इसमें शामिल करें। राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि 5333/–रूपये से शौचालय का निर्माण करना संभव नहीं है।

(ii) इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी शहरी शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अपने खजाने से 8,000/–रूपये की सहायता देगी। इस प्रकार प्रत्येक परिवार को 12,000/–रूपये प्रोत्साहन राशि शौचालय निर्माण हेतु मिलेगी। इस पर 4 वर्ष में कुल 600.00 करोड़ (छः सौ करोड़ रूपये) रूपये का व्यय होगा।

(iii) सभी नगर निकायों से यह अपेक्षा है कि अगले चार वित्तीय वर्षों के अंतर्गत शौचालय विहीन सभी परिवारों के घरों में अनिवार्य रूप से शौचालय की व्यवस्था करा लें। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित शहरी निकायों द्वारा लाभान्वितो के माध्यम से कराया जाएगा।

(iv) वित्त विभाग द्वारा वैयक्तिक शौचालय की राशि स्वच्छ भारत मिशन में खर्च करने की अनुमति दी गयी है। उसके आलोक में राशि निर्गत की जाय।

(v) SBM की राशि की निकासी हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

(vi) SBM में राज्यांश का प्रावधान कराया जाय।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

➢ **<u>प्रशाखा–04 से संबंधित कार्य</u>** :–

<u>सबके लिए आवास योजना</u> :–

1. राज्य सरकार ने कार्य योजना बनायी है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रह रहे सभी गरीब परिवारों को वर्ष 2022 तक पक्का आवास मुहैया कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

2. BSUP की पूर्णता प्रमाण पत्र भेजना।
3. IHSDP एवं RAY की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करना।
4. आवास योजना का MIS लागू करना।
5. आवास हेतु भूमि नीति।
6. SECC on RTPS.
7. AWAS Soft.
8. GPS.

NULM से संबंधित कार्य :–

1. NULM की Skill Training Component के विकेन्द्रीकरण की मार्गदर्शिका जारी करना।
2. NULM के सभी घटकों में तीव्र प्रगति सुनिश्चित करना।

उक्त कार्यों के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

➢ **प्रशाखा–05 से संबंधित कार्य :–**

1. नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त/संविदा आधारित कर्मियों की नियुक्ति हेतु नीति बनाना :–

   इस हेतु संचिका वित्त विभाग भेजी गयी थी। वित्त विभाग से समन्वय कर संचिका में अनुमोदन प्राप्त की जाय।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में निहित राज्य सरकार के दायित्वों का निर्वहन करना।
3. सुनिश्चित करना कि नगर निकाय समय पर अपना बजट तैयार करें और उसकी स्वीकृति सरकार से ससमय हो।
4. नगर निकायों के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु कार्रवाई करना।
5. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि हेतु कड़ा अनुश्रवण करना।
6. नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों हेतु कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू करना यथा स्वास्थ्य बीमा, यूनिफार्म आदि सभी पहलुओं पर कार्रवाई करना।
7. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स के ऑनलाईन प्रबंधन को 31 जुलाई तक पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
8. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना :–

इसके कड़ा अनुश्रवण हेतु शीघ्र व्यवस्था की जाय।

9. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग–अलग संचिका खोलकर मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।

10. प्रशाखा–5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के रूप में तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।

11. **शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियों में वृद्धिः–**

(i) राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों की प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति 1.00 करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया है। नगर परिषदें 50.00 लाख रूपये तक एवं नगर पंचायतें 30.00 लाख रूपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगी।

(ii) तकनीकी स्वीकृति की शक्ति एवं निविदा निष्पादन की शक्तियों में भी व्यापक विकेन्द्रीकरण किया गया है। **नई व्यवस्था निम्नवत है** :–

पदाधिकारी का पदनाम	तकनीकी स्वीकृति की शक्ति	निविदा निष्पादन की शक्ति
1	2	3
सहायक अभियंता	10 लाख तक	शून्य
कार्यपालक अभियंता	50 लाख तक	25 लाख तक
अधीक्षण अभियंता	50 लाख से 2 करोड़ तक	50 लाख से 2 करोड़ तक

12. **होल्डिंग टैक्स के बकाये के भुगतान हेतु Onetime Settlement योजना :–**

शहरी स्थानीय निकायों में पूर्व के वर्षों के बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स की वसूली सुनिश्चित करने एवं उन्हें सुविधा देने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार सभी शहरी स्थानीय निकायों में Onetime Settlement योजना लागू करेगी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायकर्मियों को पुरूस्कृत किया जाएगा।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

13. **नगर निकायों में कर्मियों की व्यवस्था :–**

(i) नगर निकायों के वर्ग 'ग' के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। तदनुसार सभी नगर निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से समेकित अधियाचना भेजेगी।

(ii) शहरी स्थानीय निकायों में वर्ग 'ग' के विभिन्न कोटि के स्वीकृत रिक्त पदों पर नगर निकाय खुली एवं पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति, राज्य सरकार की सामान्य नीतियों के तहत कर सकेगी।

(iii) जिन नगर निकायों में स्वीकृत पद पर्याप्त नहीं हैं, उन नगर निकायों में अतिरिक्त पद विभाग द्वारा सृजित किये जायेंगे।

(iv) सभी नगर निकायों में पूर्णकालिक कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किए जायेंगे।

(v) नगर निकायों में अभियंताओं की कमी के लिए सेवानिवृत्त अभियंताओं की नियुक्ति की गयी है।

(vi) नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त कनीय अभियंताओं के पद पर नगर निकाय, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है, तब तक के लिए संविदा आधारित सेवानिवृत्त अभियंताओं की नियुक्ति कर सकेगी।

उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

14. <u>नागरिक सुविधाओं हेतु आधारभूत ढाँचा के लिए भूमि की व्यवस्था</u> :–

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सुविधाओं से संबंधित आधारभूत ढाँचा के निर्माण के लिए जमीन की कठिनाई होती है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में यह नीति बनायी गयी है कि सरकार के किसी एक विभाग को जमीन की आवश्यकता है और दूसरे विभाग के पास जमीन उपलब्ध होती है तो दोनों विभागों की सहमति से समाहर्त्ता तीन एकड़ तक की भूमि का अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण कर सकते हैं। इस प्रावधान को नगर निकायों के लिए लागू किया जाएगा। नगर निकाय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के संधारण हेतु आवश्यक आधारभूत ढाँचा स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों की उपलब्ध उपयुक्त भूमि अन्तर्विभागीय हस्तांतरण द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से निःशुल्क उपयोग हेतु दी जा सकेगी।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

15. <u>मुख्यमंत्री "आदर्श नगर निकाय" प्रोत्साहन योजना</u> :–

(i) राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से मुख्यमंत्री "आदर्श नगर निकाय" प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिनका वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य के एक नगर निगम, दो नगर परिषदों एवं दो नगर पंचायतों को पुरूस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की यह राशि क्रमशः 5.00 करोड़ (पाँच करोड़), 3.00 करोड़ (तीन करोड़) एवं 1.00 करोड़ रूपये होगी, जिसका उपयोग नगर निकाय स्वविवेक से नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कर सकेगी।

(iii)इस प्रोत्साहन योजना में नगर क्षेत्र की सफाई एवं घरों में शौचालय सबसे प्रमुख घटक होंगे। इसका निर्धारण तटस्थ संस्था द्वारा कराया जाएगा। इसमें ऑनलाईन मत नागरियों से प्राप्त किया जाएगा।

यह कार्य प्रशाखा–5 द्वारा SPUR के माध्यम से संपन्न किया जाय।

16. नगर निकायों को स्थायी पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी।

17. सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र अब से आगे नगर निकाय कार्यालयों द्वारा जारी किये जाएंगे।

18. धारा 100 का पालन कराना।

19. Land asset register & encroachment removal.

20. नगर निकाय कर्मियों की स्थानांतरण नीति।

21. उपाध्यक्ष को जिला संचालन समिति में शामिल करना।

22. मस्टर रॉल पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था।

उक्त कार्यों के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

23. **<u>Disqualification of Mayor</u>**-

(i) Should it be allowed every year? S.25

(ii) Should the security of tenure of Municipal Officer with regards to council be also extended? S.41

(iii) Sec-27A, Sec-27B, Empowered Committee conduct rule-10.

उक्त कार्यों के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

24. **Magisterial Powers**-

(i) Need for magisterial power to municipal officer 133cr.p.c.

(ii) Parallel powers to Circle Officer regarding encroachment.

उक्त कार्यों के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

25. Clear guidelines on 75(6) on the financial powers of executive officer.

26. Mandatory inspection of DM/Divisional Commissioner..s.66.

उक्त कार्यों के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

प्रशाखा–6 से संबंधित कार्य :–

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➢ **प्रशाखा–07 से संबंधित कार्य** :–

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन। सुनिश्चित करना कि इस माह एक हजार करोड़ रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित हो जाय एवं 42.00 करोड़ रूपये का डी०सी० विपत्र समर्पित कर दिया जाय।
2. नगर निकायों के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।
3. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
4. वित्त विभाग में गठित निदेशालय "स्थानीय निधि लेखा" से समन्वय कर नगर निकायों का सामयिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना :–

इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

5. महालेखाकार/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अंकेक्षकों का सेल गठित करना :–

इस हेतु वित्त विभाग से सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।

6. DEAS को Roll Out कराना।

7. ULB's का CA से annual audit कराना :–

इस संबंध में टीम लीडर, SPUR द्वारा शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

8. DLFA से नगर निकायों का अंकेक्षण।

➢ **<u>प्रशाखा–8 से संबंधित कार्य</u>** :–

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।
2. यह सुनिश्चित करना कि लंबित CWJC की संख्या 50 के अंदर पहुँचे एवं लंबित MJC की संख्या 05 के अंदर पहुँचें।

➢ **<u>प्रशाखा–9 से संबंधित कार्य</u>** :–

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➢ **<u>प्रशाखा–10 से संबंधित कार्य</u>** :–

1. बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ससमय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करना।
2. भागलपुर, समस्तीपुर, आरा की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।
3. Property का Computerised डाटाबेस तैयार करना।
4. संसाधनों में वृद्धि करना।
5. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
6. नागरिक सुविधा को प्रभावी बनाना।

➢ **<u>प्रशाखा–11</u>**

1. पटना नगर निगम एवं सभी शहरी क्षेत्रों में नक्सा पास होने की व्यवस्था चालू करना :–

इसकी अनुश्रवण की व्यवस्था प्रारंभ की जाय। यह श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेदारी है।

2. नक्सा ऑनलाईन स्वीकृत होने की व्यवस्था करना।
3. भवन उपविधि के प्रबंधन में लगे हुए अभियंताओं को प्रशिक्षित करना।
4. टाउन प्लानिंग स्कीम लागू करना।
5. पटना मास्टर प्लान लागू करना।

6. भारत सरकार से प्राप्त महत्वपूर्ण मामले पर जबाव देना।

7. राज्य में CEPT का क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव गठित करना।

8. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

9. भवन उपविधि के प्रावधान लागू हो, इस हेतु राज्य स्तर से निरीक्षण की व्यवस्था करना एवं कार्रवाई सुनिश्चित करना।

10. TCPO कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।

11. स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति एवं अंतरिम व्यवस्था के तौर पर संविदा आधारित नियुक्ति।

12. नगर निगम एवं बड़े नगर परिषदों के शहरी आयोजना कर्मियों की व्यवस्था।

13. पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी का चुनाव।

14. पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी को कार्यरूप देना।

उक्त कार्यों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाय। यह श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेदारी है।

15. <u>संवेदकों का पंजीकरण एवं आरक्षण नियमों का पालन</u> :–

(i) सरकार के विभिन्न कार्य विभागों में संवेदकों का पंजीकरण होता है। उसी प्रकार नगर निकायों में पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) 15.00 लाख रुपये के कार्यों पर आरक्षण की व्यवस्था।

(iii) 15.00 लाख रुपये तक विभागीय कार्य कराने का प्रावधान।

14. Agencies regarding Waste Processing :-

इस संबंध में एक कार्यशाला आयोजित करने हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय। नगर निकायों को इस हेतु परामर्श देने की व्यवस्था की जाय।

➢ <u>अभियंत्रण कोषांग से संबंधित कार्य</u> :–

1. राज्य में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं ई० टेण्डरिंग के संबंध में प्रशिक्षण।

2. मुख्यालय स्तर पर गुणवत्ता निगरानी कर्मियों की व्यवस्था एवं नियमित रूप से नगर निकायों के कार्यों के स्थल अध्ययन की व्यवस्था :–

एक सप्ताह के अंदिर प्रशिक्षण आयोजित करके, SQM को प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था की जाय।

3. मानक प्राक्कलन पुस्तिका का गठन, प्रशिक्षण एवं प्रसार।
4. नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित अभियंताओं पर कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण।
5. टेण्डरिंग से संबंधित शिकायत :–

टेण्डरिंग से संबंधित शिकायत की जाँच हेतु अन्य कार्य विभागों से जानकारी प्राप्त कर, निराकरण की व्यवस्था की जाय।

6. One Week Orientation.
7. शिकायत निविदा निवारण समिति।

➢ **AMRUT Mission से संबंधित कार्य** :–

1. श्री नीरज सक्सेना, प्रभारी पदाधिकारी AMRUT/Smart City राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करना :–

AMRUT योजना के लिए बजट का प्रावधान कराने हेतु संचिका में उपस्थापित किया जाय। यह प्रभारी पदाधिकारी श्री नीरज सक्सेना की जिम्मेदारी है।

2. कार्य योजना भारत सरकार को समय पर प्रेषित करना।
3. अग्रिम तैयारी करना ताकि समय पर राशि की प्राप्ति हो सके।
4. PMU का गठन :–

PMU के गठन हेतु संचिका में शीघ्र प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

5. समय पर राशि का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाना।
6. SAAP in a Week.
7. Budget Provision.

➢ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य** :–

1. NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
2. नमामि गंगे अंतर्गत डी०पी०आर० प्रेषित करना।
3. कंसल्टेंट के साथ नियमित समीक्षा करना।
4. वित्तीय प्रबंधन में सुधार सुनिश्चित करना :–

SPMG, Financial Management देखें कि इसमें कितना व्यय हुआ है एवं कितनी राशि की निकासी हुई है। यह श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक सुनिश्चित करेंगे।

5. NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।
6. Recruitment.
7. Office functional.
8. Financial Management.

➢ **<u>BUIDCo से संबंधित कार्य</u>** :–

1. योजनाओं के कार्यान्वयन को गति देना।
2. योजनाओं का MIS गठित करके, सभी योजनाओं का Real time सूचना उपलब्ध कराना।
3. गुणवत्ता व्यवस्था।
4. समयबद्धता।

➢ **<u>बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित कार्य</u>** :–

1. योजनाओं के कार्यान्वयन को गति देना।
2. योजनाओं का MIS गठित करके, सभी योजनाओं की Real time सूचना उपलब्ध कराना।
3. गुणवत्ता व्यवस्था।
4. समयबद्धता।

16/9
(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4828 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 17/9/15

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना/Team Leader, SPUR/SPMG कोषांग/अभियंत्रण कोषांग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9
प्रधान सचिव